न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी—अलवर
(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना—पत्र संख्याः— 2020/0213 दर्ज तिथिः— 09.11.2020

1. सुरेन्द्र पुत्र दुर्गाप्रसाद जाति नायक उम्र करीब 35 साल
2. धांपा पत्नी दुर्गाप्रसाद जाति नायक उम्र करीब 70 साल

समस्त निवासीयान प्रतापगढ तहसील थानागाजी—अलवर।

................प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, थानागाजी तह0 थानागाजी जिला—अलवर।

.................अप्रार्थी

उपस्थित
प्रार्थी अधिवक्ताः—श्री के0के0शर्मा द्वितीय।
अप्रार्थी अधिवक्ताः— पैरोकार सरकार।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—136
राजस्थान भू—राजस्व अधि0—1956

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः—09.05.2023

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रार्थना पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि मुताबिक मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2075—2078 हाल खसरा नम्बर 730/0.15 है0, 837/0.17 है0, 838/0.38 है0, 851/0.15 है0, 852/0.43 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 1.28 है0 वाके ग्राम लालपुरा तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान में स्थित दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त आराजी जमाबन्दी सम्वत् 2075—2078 में प्रार्थीगण के नाम का अंकन सोनू पुत्र दुर्गाप्रसाद व धाफा पत्नी दुर्गाप्रसाद है जबकि प्रार्थीगण का नाम अन्य दस्तावेज में धांपा पत्नी दुर्गाप्रसाद और सुरेन्द्र पुत्र दुर्गाप्रसाद अंकित है। जो राजस्व कर्मचारियों द्वारा अंकन करते समय प्रार्थीगण का नाम सही दर्ज नहीं किया गया है। राजस्व रिकॉर्ड एवं अन्य दस्तावेजों में प्रार्थीगण के नाम में भिन्नता के कारण प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। अंत में प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की उक्तानुसार वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण के नाम को राजस्व रिकार्ड में धांपा पत्नि दुर्गाप्रसाद तथा सुरेन्द्र पुत्र दुर्गाप्रसाद दर्ज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.15 19:44:08 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में तहसीलदार थानागाजी से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार थानागाजी द्वारा जांच रिपोर्ट पत्रांक/भू.अ./167 दिनांक 20.01.2023 द्वारा प्रेषित की गई कि शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली पर प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को मात्र दौहराते हुए हाल राजस्व रिकॉर्ड

में प्रार्थीगण का नाम सही दर्ज नहीं होने के कारण प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहे है। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण का नाम सही दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया।

3. मैनें प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया कि तहसीलदार थानागाजी की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण का नाम हाल राजस्व रिकॉर्ड में सही दर्ज नहीं है एवं जमाबंदी संवत् 2075–78 के खाता संख्या 48 में भी प्रार्थीगण के नाम का सही अंकन नहीं किया गया है। प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड मुताबिक जमाबंदी संवत् 2075–78 के नवीन खाता संख्या 48 का विवरण निम्न प्रकार हैः–

खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा
अनिता पुत्री दुर्गाप्रसाद	730	0.15 है0
कमलेश पुत्री दुर्गाप्रसाद	837	0.17 है0
कैलाश पुत्र माधव	838	0.38 है0
धाफा पुत्री दुर्गाप्रसाद	851	0.15. है0
मुरारी पुत्र प्रभात	852	0.43 है0
मोहनलाल पुत्र प्रभात		
योगेश पुत्र प्रभात		
संतोष पुत्री दुर्गाप्रसाद		
सोनू पुत्र दुर्गाप्रसाद		
कुल किता–5		1.28

4. प्रकरण में प्रार्थीगण का नाम अन्य दस्तावेजों सुरेन्द्र पुत्र दुर्गाप्रसाद एवं धांपा पत्नि दुर्गाप्रसाद अंकित है जो कि इस प्रकार हैः–

दस्तावेज का विवरण	नाम
पहचान–पत्र	सुरेन्द्र पुत्र दुर्गाप्रसाद
पहचान–पत्र	धांपा पत्नि दुर्गा
आधार कार्ड	धांपा पत्नि दुर्गाप्रसाद
आधार कार्ड	सुरेन्द्र कुमार चौहान पुत्र दुर्गाप्रसाद चौहान
अंकतालिका कक्षा–10	सुरेन्द्र कुमार चौहान पुत्र दुर्गाप्रसाद चौहान
मूल निवास प्रमाण पत्र	सुरेन्द्र कुमार चौहान पुत्र दुर्गाप्रसाद चौहान
जाति प्रमाण पत्र	सुरेन्द्र कुमार चौहान पुत्र दुर्गाप्रसाद चौहान
ड्राइविंग लाइसेंस	सुरेन्द्र कुमार चौहान पुत्र दुर्गाप्रसाद चौहान

5. प्रकरण में तहसीलदार थानागाजी की रिपोर्ट प्राप्त हुई जो कि संलग्न पत्रावली है जिसका विवरण इस प्रकार हैः–

उक्त प्रकरण में प्रार्थी सुरेन्द्र पुत्र दुर्गाप्रसाद एवं धापा पत्नि दुर्गाप्रसाद जाति नायक निवासी ग्राम प्रतापगढ़ द्वारा आराजी खसरा नम्बर 730/0.15, 837/0.17, 838/0.38, 851/0.15, 852/0.43 कुल किता 05 कुल रकबा 1.28 है0 वाकै ग्राम लालपुरा में अपना नाम शुद्ध [illegible] किया है। प्रार्थी का नाम पूर्व में ही नामान्तरण संख्या 102 न्याया. आदेश दिनांक 26.08.2022 के द्वारा दुरुस्त कर सुरेन्द्र पुत्र दुर्गाप्रसाद एवं धापा पत्नि दुर्गाप्रसाद राजस्व रिकॉर्ड ग्राम लालपुरा खाता संख्या 48 में दर्ज कर दिया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.15 19:44:08 IST
Reason: SelfAttested

6. उक्त राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी में हाल राजस्व रिकॉर्ड में नाम का सही अंकन नहीं है। उक्त प्रकरण में प्रार्थीगण का नाम अन्य दस्तावेजों में सुरेन्द्र पुत्र दुर्गाप्रसाद एवं धांपा पत्नि दुर्गाप्रसाद अंकित है। जो बिंदू संख्या–4 में वर्णित है। अतः प्रार्थीगण के हाल राजस्व रिकॉर्ड में नाम संबंधी इन्द्राज को मुताबिक तहसीलदार थानागाजी रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजात् के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाना उचित है। चूंकि तहसीलदार थानागाजी ने अवगत करवाया है कि प्रार्थीगण नाम पूर्व में ही नामान्तरण संख्या 402 न्याया. आदेश दिनांक 26.08.2022 के द्वारा दुरूस्त कर सुरेन्द्र पुत्र दुर्गाप्रसाद एवं धापा पत्नि दुर्गाप्रसाद राजस्व रिकॉर्ड ग्राम लालपुरा खाता संख्या 48 में दर्ज कर दिया है। अतः प्रार्थना–पत्र पर चाहा गया अनुतोष पूर्व में ही प्रार्थीगण को प्राप्त हो गया है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना–पत्र तहसीलदार थानागाजी एवं अन्य दस्तावेज में नाम का अंकन पूर्व में ही अमलदरामद होने के कारण खारिज किया जाता है। राजस्व इन्द्राज बदस्तूर रखा जावे।

पत्रावली का निर्णय आज दिनांक 09.05.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहरयुक्त जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.15 19:44:08 IST
Reason: SelfAttested